

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

पर्यावरण परिसर -ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

E-mail:mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0 755-2427096

क्रमांक 1587/नग्रानि/टी.सी/352/सा./2024
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/03/2024


समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय ----- (म.प्र.)

विषय:- अनुमोदित अभिन्यासों में दुकानों एवं स्कूल एवं अन्य उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड पर स्थल मानचित्र स्वीकृति बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न जिला कार्यालयों द्वारा अनुमोदित अभिन्यासों में दुकानों एवं स्कूल एवं अन्य उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड के जिला कार्यालयों से पृथक से स्थल अनुमोदन की शर्त का अधिरोपण कर प्रकरणों के निराकरण हेतु संचालनालय से मार्गदर्शन चाहा जाता है।

उक्त तारतम्य में सूचित किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्षों के अभिन्यास अनुमोदन में इस प्रकार की शर्त यदि उल्लेखित है तो उन्हें पृथक से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-29 के अन्तर्गत ग्राह्य न किया जावे तथा संबंधित नगर निगम/नगर पालिका अथवा आवेदक से प्रकरण प्राप्त होने पर यह स्पष्टतः सूचित करें कि इस प्रकार के भूखण्डों हेतु प्रभावशील विकास योजना में यदि पृथक से मापदण्ड न दिये गये हो तो म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधान अनुसार नियोजन मापदण्ड रखते हुए भवन अनुमति संबंधी कार्यवाही स्थानीय निकाय द्वारा की जावे।


(श्रीकांत बनौठ)

वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल


पृ.क्रमांक 1588/नग्रानि/टी.सी/352/सा./2024
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21/03/2024

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश टी.सी./विधि/विकास योजना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 2. सहायक संचालक (आई.टी.), संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. की ओर वेब साईट पर अपलोड कराने।


22/03

H:\LKI\letterTC.docx


वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल